सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 37 राँची, बुधवार 26 नवम्बर, 2025 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	769-800
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	

	पृष्ठ
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

08 अक्टूबर, 2025

संख्या-09/नि०सु० (07)-56/2023-6235--निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 25 के प्रावधान के तहत अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक-24.04.2023 द्वारा "झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023" अधिसूचित की गई है, में झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन गठित करते हैं:-

"झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के **परिशिष्ट-IV** के बाद **परिशिष्ट-V** को निम्नरूपेण जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट-V

निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 [PSAR अधिनियम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियंत्री प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को लाइसेंस / मान्यता प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी)

1. PSAR अधिनियम, 2005 के तहत प्रावधानः

1.1 निजी सुरक्षा एजेंसी का अर्थ है सरकारी एजेंसी, विभाग या संगठन के अलावा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जो निजी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है, साथ ही निजी सुरक्षा गार्ड या उनके पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण सहित या किसी भी औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम या कंपनी या किसी भी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को निजी सुरक्षा गार्ड प्रदान करता है। [धारा 2 (छ)].

1.2 कोई भी व्यक्ति निजी सुरक्षा एजेंसी का कारोबार तब तक नहीं करेगा या शुरू नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इस अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस न हो। [धारा 4]

1.3 निजी सुरक्षा एजेंसी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को यथा विहित प्रपत्र में किया जाएगा। [धारा 7 (1)],

1.4 प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को यथा निर्धारित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। (धारा 9(2)]

1.5 लाइसेंसधारी का प्रशिक्षण लाइसेन्स प्रदान करने के लिए एक शर्त है। [धारा 11(1)]

1.6 राज्य सरकार, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में सत्यापन करने एवं ऐसी निजी सुरक्षा अभिकरण, जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्त का पालन न किया हो, के लाइसेंस की निरंतरता या अन्यथा की समीक्षा करने के लिए नियमों में उपबंध कर सकेगी। [धारा 11(2)]

1.7 कोई भी व्यक्ति या निजी सुरक्षा एजेंसी, जो अधिनियम की धारा 9, 10 और 12 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने के अलावा पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगी। (धारा 20(2)]

2. झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के तहत प्रावधानः

2.1 इन नियमों में गार्डों/पर्यवेक्षकों और लाइसेंसधारियों के लिए प्रशिक्षण के विषय और न्यूनतम अवधि निम्नानुसार दी गई है

क्र० सं०	प्रशिक्षण का प्रकार	न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण विषय
1.	लाइसेंसधारी का प्रशिक्षण	6 कार्य दिवस	झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के नियम 4 (2) एवं 4 (3) के तहत निर्धारित
2.	गार्ड (प्रवेश स्तर) / पर्यवेक्षक	20 कार्य दिवस (कक्षा निर्देश-100 घंटे और फील्ड प्रशिक्षण -60 घंटे) नियम 8 (1))	झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के नियम 8(1), 8 (2) एवं 10 (3) के तहत निर्धारित
3.	गार्ड (भूतपूर्व सैनिक और पूर्व पुलिस कर्मी)	7 कार्य दिवस (कक्षा निर्देश - 40 घंटे और क्षेत्र प्रशिक्षण - 16 घंटे)	
4.	नकद परिवहन गतिविधियों में लगे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण	सीरियल की तरह ही। नंबर 2 और 3 ऊपर	मॉडल नियमों के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारितअनुसार/झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (निजी सुरक्षा से नकद परिवहन गतिविधियां) नियमावली, 2020

2.2 - राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा के अनुरूप, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमावली के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित है। [नियम8 (1)]

- सुपरवाईजरों केप्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमावली के परिशिष्ट-II में उल्लिखित है। [नियम 10 (3)]

2.3 अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमावली के परिशिष्ट-III में उल्लिखित है। [नियम 4 (2)]

2.4 प्रशिक्षण पूरा होने पर, प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा फॉर्म viii में एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। [नियम 8 (5)]

2.5 एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों के गार्डों/पर्यवेक्षकों को जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में भी स्वीकार किए जाएंगे। [नियम 8 (6)]

2.6 नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने स्वयं के अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा के कामकाज का निरीक्षण करेगा। आम तौर पर इस तरह के निरीक्षण हर साल कम से कम दो बार आयोजित किया जाएगा। (नियम8 (7)]

2.7 सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रारूप XIIमें प्रस्तुत करेंगें। [नियम 8 (8)]

2.8 नियंत्रक प्राधिकारी स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी निजी प्रशिक्षण एजेंसी के निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशलों का सत्यापन कर सकता है। [नियम 8 (10)]

3. आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 8/6/2013-दिनांक 27.12.2013 में निर्धारित किया गया है कि एनएसक्यूएफ की अधिसूचना की पांचवीं वर्षगांठ की तारीख के बाद सभी प्रशिक्षण / शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए एनएसओएफ के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

II. नियंत्रण प्राधिकारी के पास प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस / मान्यता के लिए आवेदन

1. निजी सुरक्षा एजेंसी को आवेदन करने और लाइसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया किसी प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस / मान्यता के मामले में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होती है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं:

1.1 निजी सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान (पीएसएआर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विनियमित) प्रशिक्षण संस्थान के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय फार्म-1 (लाइसेंस के लिए आवेदन) के निर्धारित प्रपत्रों (पैरा 10 (स्वयं / आउटसोर्स प्रशिक्षण सुविधा के संबंध में) और पैरा 12 (वर्दी के संबंध में) में नियंत्रक प्राधिकारी, झारखण्ड राज्य के पास अपनी मान्यता

के लिए आवेदन करेगा निजी सुरक्षा एजेंसी झारखण्डनिजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के नियम 3 के अनुसार लाइसेंस शुल्क के साथ।

1.2 नियंत्रक प्राधिकरण झारखण्डनिजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के नियम 3 के तहत प्रावधानों के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देगा/ लाइसेंस प्रदान करेगा और इसे अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत्त किया जा सकता है।

1.3 प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस का नवीनीकरण निजी सुरक्षा एजेंसी झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के नियम 5 और 6 के अनुसार होगा

2. प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस / मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग निम्नानुसार होगीः

2.1 नियंत्रक प्राधिकारी किसी प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस / मान्यता के लिए आवेदनों पर उसी तरीके से कार्रवाई करेगा जिस तरीके से किसी निजी सुरक्षा एजेंसी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुसरण किया जाता है।

2.2 नियंत्रक प्राधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के नए लाइसेंस / मान्यता के लिए आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण होने पर आदेश पारित करेगा। लाइसेंस / मान्यता के नवीकरण के मामले में, समय सीमा तीस दिन होगी।

2.3 आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि (ए) आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है; और (बी) जिस आधार पर लाइसेंस से इनकार किया जाता है, उसका उल्लेख आदेश में किया गया है।

2.4 नियंत्रक प्राधिकारी झारखण्ड राज्य में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के डेटाबेस को पीएसएआरए पोर्टल (psara.gov.in) पर उनकी मान्यता पर तुरंत "अपने प्रशिक्षण संस्थानों को जाने " शीर्षक के तहत अपडेट करेगा।

2.5 नियंत्रण प्राधिकारी बिना लाइसेंस / मान्यता के चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों को नोटिस देंगे और उनसे लाइसेंस के लिए तत्काल आवेदन करने को कहेंगे। अधिनियम की धारा 20 (1) के अनुसार पीएसएआर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने से पहले छह महीने का उचित समय दिया जा सकता है।

III. प्रशिक्षण संस्थानों को लाइसेंस / मान्यता की शर्तें

1. प्रशिक्षण संस्थानों को लाइसेंस मान्यता की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1.1 प्रशिक्षण संस्थान नियम 8 (निजी सुरक्षा गार्डों / पर्यवेक्षक के लिए) और/या नियम 4 (लाइसेंसधारी के लिए) के तहत प्रावधान के अनुसार नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम संचालित करेगा। एनएसक्यूएफ के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जब तक यह अनुमोदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नियमों में वर्तमान में शामिल पाठ्यक्रम को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के रूप में माना जाएगा।

1.2 नियंत्रण प्राधिकारी को प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर उसके द्वारा मान्यता जारी की जानी चाहिए। न्यूनतम अवसंरचना से स्वयं को संतुष्ट करना, प्रशिक्षण संस्थान चलाना, जिसके लिए उसके द्वारा लाइसेंस मान्यता जारी की गई है।

1.3 प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप (फॉर्म VIII) में एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

1.4 सभी प्रशिक्षण एजेंसियां सफल प्रशिक्षुओं की सूची नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप (फॉर्म XII) में प्रस्तुत करेंगी।

IV. निगरानी और समीक्षाः

1. नियंत्रण प्राधिकारी प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकरण और निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रशिक्षण प्रावधानों के अनुपालन की मानीटरिंग करेंगे।

1.1 नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

1.2 नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार प्रशिक्षण सुविधा के कार्यकरण का पहलू उठाएगा।

1.3 नियंत्रण प्राधिकारी स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण और कौशलों का सत्यापन करता है।

1.4 धारा 9 (2) के कार्यान्वयन के संबंध में नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा धारा 9 (2) के उपबंधों का उल्लंघन अर्थात् निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान न करना दंडनीय है जिसके लिए ऐसी एजेंसी के लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने पर पच्चीस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 इस हद तक संशोधित समझें जायेगें तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिर्की,

सरकार के अपर सचिव ।

HOME, PRISON AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION
8th October, 2025.

No.-09/Ni.Su (07)-56/2023-6235--As per the provision of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) the Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023 notified by Departmental Notification no.-2165, dt.-24-04-2023. In exercise of the powers of section 25 of the Act the Government of Jharkhand hereby makes the following amendment:-

After **Annexure-IV** of "Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023" **Annexure-V** is being added as follows.

Annexure-V

Standard Operating Procedure (SOP) for license/recognition to training institutes by the Controlling Authority for imparting trainings under the Private Security Agencies (Regulation) Act,2005 [PSAR Act]

I. **Statutory Guidelines**

1. **Provisions under the PSAR Act, 2005:**

1.1 "Private Security Agency" means a person or body of persons other than a government agency, department or organisation engaged in the business of providing private security services including training to private security guards or their supervisor or providing private security guards to any industrial or business undertaking or a company or any or any other person or property. [Section 2(g)]

1.2 No person shall carry on or commence the business of private security agency, unless he holds a license issued under this Act. [Section 4]

1.3 An application for grant of license to a private security agency shall be made to the Controlling Authority in such form as may be prescribed. [Section 7(1)],

1.4 Every private security agency shall ensure imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as may be prescribed. [Section 9(2)]

1.5 Training of licensee is a condition for grant of license. [Section 11(1)]

1.6 The State Government may make provision in the rules to verify about impartingof required training by the private security agency under sub- section (2) of section 9 and to review continuation or otherwise of license of such private security agency which may not have adhered to the condition of ensuring the required training. [Section 11(2)]

1.7 Any person or private security agency, who contravenes the provisions of sections 9, 10 and 12 of the Act, shall be punishable with a fine which may extend to twenty- five thousand rupees, in addition to suspension or cancellation of the license. [Section 20(2)]

2. Provisions under the "Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023":

2.1 The Rules provide the subjects and minimum duration of trainings for guards/supervisors and licensees as below:

S. No.	Type of training	Minimum Training Period	Training Subjects
1.	Licensee's training	6 working days	As prescribed under Rule 4(2) & 4(3) of "Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023"
2.	Guards (entry level)/ Supervisors	20 working days (classroom instruction-100 hours & field training-60 hours) Rule 8(1))	As prescribed under Rule 8(1), 8(2) & 10 (3) of "Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023"
3.	Guards (ex- servicemen and former police personnel)	7 working days (classroom instruction-40 hours & field training-16 hours)	
4.	Training for personnel engaged in Cash Transportation Activities	Same as at Serial. No. 2 & 3 above	As prescribed in the second schedule' under the model rules: Jharkhand Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2020

2.2 _The detailed training syllabus for training the security guards in accordance with National Skill Qualification Framework is mentioned in Annexure I of these Rules. [Rule 8(1)] The detailed training syllabus for training the Supervisor is mentioned as Annexure II of these Rules. [Rule10(3)]

2.3 The detailed training syllabus for training the licensee is mentioned as Annexure III of these Rules. [Rule 4(2)]

2.4 On completion of the training, each successful trainee shall be awarded a certificate in Form VIII by the training institute. [Rule 8(5)]

2.5 The training certificates issued to the guards/ supervisors from Training Institutes in one State shall be accepted in other State also. [Rule 8(6)]

2.6 The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year. (Rule 8(7)]

2.7 All the training agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in form XII. [Rule 8(8)]

2.8 The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private training agency. [Rule 8(10)]

3. The Department of Economic Affairs Notification No. 8/6/2013-Invt. dated 27.12.2013 stipulated that it shall be mandatory for all training/educational programmes/courses to be NSOF compliant after the fifth anniversary date of the notification of the NSQF.

II. Application for license/recognition of a training institute with the Controlling Authorities

1. Procedure of application and renewal of license to private security agency applies mutatis mutandis in case of license/ recognition of a training institute. The following points are noteworthy in this regard:

1.1 Every training institute imparting trainings in the sector of private security services (regulated under the PSAR Act, 2005) shall apply for its Recognition with the Controlling Authority, Jharkhand State in the prescribed forms

(except Para 10 (regarding own/outsourced training facility) and Para 12 (regarding uniform) of Form-1 (Application for license), while applying license for a training institute) along with the license fee as per Rule 3 of the Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023.

1.2 The Controlling Authority shall recognize/grant license to a training institute for a period of five years as per provisions under Rule 3 of the Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023 and it can be renewed further for another five years and so on.

1.3 Renewal of license of a training institute shall be as per Rule 5 and 6 of the Jharkhand Private Security Agencies Rules, 2023

2. Processing of applications for license/recognition and renewal of training institutewill be as below:

2.1 The Controlling Authority shall process the applications for license/recognition of a training institute in the same manner as followed for grant of license to a private security agency.

2.2 The Controlling Authority shall pass an order On applications for fresh license/recognition of training institute within sixty days from the date of receiptof it, complete in all respects. In case of renewal of license/recognition, the time limit shall be thirty days.

2.3 In case of rejection of the application, no order of rejection shall be made unless, (a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and (b)the grounds on which license is refused is mentioned in the order

2.4 The Controlling Authority shall update the database of recognized training institutes in the State of Jharkhand on the PSARA portal (psara.gov.in) under the head "know your training institutes" immediately on their recognition:

2.5 The Controlling Authorities shall give a notice to the training institutes running without license/recognition asking them to apply for license immediately. reasonable time of six months may be given before taking action for contravention of section 4 of the PSAR Act as per section 20(1) of the Act.

III. Conditions of license/recognition to training institutes

1. The following are the conditions of license recognition to training institutes:

1.1 Training institute shall conduct the training courses as per the syllabus prescribed by the Controlling Authority as provisioned under Rule 8 (for private security guards/ Supervisor) and/or Rule 4 (for licensee). Appropriate action for taking approval under NSQF is being taken by the Ministry of Home Affairs. Till such time this approval process is completed, the syllabus presently included in the Rules shall be treated as the syllabus prescribed by the Controlling Authority.

1.2 The Controlling Authority shall required, based on training capacity, recognition is issued by him. satisfy himself of the minimum infrastructure run the training institute for which license recognition is issued by him.

1.3 On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in the prescribed format (Form VIII) by the training institute.

1.4 All the training agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the prescribed format (form XII).

IV. Monitoring & Review:

1. Controlling Authorities shall monitor working of training institutes and compliance of training provisions by the private security agencies to the following manner:

1.1 Working of the training institutes under their jurisdiction would be reviewed regularly by the Controlling Authority.

1.2 The Controlling Authority shall aspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through it own officers at least two times every year.

1.3 The Controlling Authority either by itself or through its officers shell verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors by the training agency.

1.4 Regular review must be taken in respect of implementation of section. 9(2) since. such contraventions attract punishment under Section 20(2), Contravention of the provisions of

sections 9(2) by private security agency, i.e, non-imparting of training and skills to private security guards and supervisors is punishable with a fine which may extend to twenty-five thousand rupees a addition to suspension or cancellation of the license of such agency.

2- The amendment in "Jharkhand Private Security Agencies Rules", 2023 will be to this extent, the remaining portions will remain unchanged.

By Order of Governor of Jharkhand,

Anil Kumar Tirkey,
Addl. Secretary to the Government.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2025

संख्या-16/नि०-10/2015-4374--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, पुलिस हस्तक नियम 1978 नियम 663 (अ) (अधिसूचना संख्या-3106, दिनांक-13.08.2007 समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद नियुक्ति हेतु अधिसूचित 663 (अ) की उप नियम-3.4 (क) में किये गये निम्न प्रावधान :-

"3.4 (क) शारीरिक क्षमता की परीक्षाः-

(i) पुरूष अभ्यर्थी के लिये 10 कि०मी० की दौड़ 60 मिनट में।

(ii) महिला अभ्यर्थी के लिये 05 कि०मी० की दौड़ 40 मिनट में।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"3.4 (क) शारीरिक क्षमता की परीक्षाः-

(i) पुरूष अभ्यर्थी के लिए 01 मील (1600 मीटर) की दौड़ 06 मिनट में।

(ii) महिला अभ्यर्थी के लिए 01 मील (1600 मीटर) की दौड़ 10 मिनट में।

2. पुलिस हस्तक नियम 663 (अ) (अधिसूचना संख्या-3106, दिनांक-13.08.2007 समय-समय पर यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. विभागीय संलेख ज्ञापांक-4276, दिनांक-11.11.2025 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.11.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2025

संख्या-16/नि०-03/2016-4373--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल " झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः-

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु** (Wireless Sub Inspector) **संवर्ग नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2025"** कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली निर्गत तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के नियम-14 (ख) (ii) में किये गये निम्न प्रावधान :-

"14 (ख) (ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्डः-

(i) पुरूषों के लिए 60 मिनट में 08 कि०मी० की दौड़।

(ii) महिलाओं के लिए 35 मिनट में 04 कि०मी० की दौड़।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"14 (ख) (ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्डः-

(i) पुरुषों के लिए- 01 मील (1600 मीटर) की दौड़ 06 मिनट में।

(ii) महिलाओं के लिए-01 मील (1600 मीटर) की दौड़ 10 मिनट में।

3. झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक-4275, दिनांक-11.11.2025 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.11.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2025

संख्या-13/आई०पी०एस०-111/2025-4360--श्री किशोर कौशल, भा०पु०से0 (2012) समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-07, हजारीबाग को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-27.12.2025 से 05.01.2026 तक 10 (दस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि में निजी प्रयोजन हेतु निजी व्यय पर सपरिवार विदेश (लंकावी, मलेशिया / सिंगापुर) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह ,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2025

13/पी$_1$-103/2021-4211--सी०, श्रीमती तदाशा मिश्रा, भा०पु०से० (1994) विशेष सचिव, राँची, दिनांक-06/11/2025 ई० गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश - तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची (HoPF) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2025

संख्या-13/एल0-104/2025-4354--श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, भा०पु०से0 (2021) पुलिस अधीक्षक, नगर, धनबाद को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-04.12.2025 से 17.12.2025 तक 14 (चौदह) दिवों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि में निजी प्रयोजन हेतु निजी व्यय पर विदेश (UAE AND GEORGIA) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2025

संख्या-13/एल0-102/2025(खण्ड)-4406-श्री एम०एस० भाटिया, भा०पु०से० (1993) महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-08.09.2025 से 14.09.2025 तक 07 (सात) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2025

संख्या-13/पी$_1$-103/2021-4210--सी०, श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से०(1990) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची (HoPF) के द्वारा समर्पित ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

श्री गुप्ता, भा०पु०से० को दिनांक-06.11.2025 के प्रभाव से सेवानिवृत्त मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत अनुमान्य सभी लाभ देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 नवम्बर, 2025

संख्या--07/हो०गा० (स्था०)-07/2020-6978--झारखण्ड राज्यन्तर्गत गृहरक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952) के तहत् भविष्य निधि एवं बीमा के रूप में अपेक्षित सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नवत् अंतर्विभागीय समिति का गठन किया जाता है :-

(1) विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची	-अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची	-सदस्य
(3) सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	-सदस्य
(4) सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	-सदस्य

(क) समिति, गृहरक्षकों के मामले में समीक्षा / जाँच कर एक सप्ताह के अन्दर इस विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2025

संख्या-2/नि॰सं॰-12-13/2025-33349 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री नितेश रोशन खलखो, झा0प्र0से0, षष्टम बैच (गृह जिला- रांची, कोटि क्रमांक-114/25) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरुपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Current Department**	**Current Office** **Current Designation**	**Joining Date in Service**	**Date of Service Confirmation**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	NITESH ROSHAN XALXO- (110087812175)	DC OFFICE WEST SINGHBHUM	JHINKPANI CIRCLE ,WEST SINGHBUM Circle Officer	25/08/2020	25/08/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:20060400057

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2025

संख्या-2/नि०सं०-12-63/2020-32967 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री बिजय कुमार महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-26/25, गृह जिला- कोडरमा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरुपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Current Department**	**Current Office** **Current Designation**	**Joining Date in Service**	**Date of Service Confirmation**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	BIJAY KUMAR MAHATO- (111105268028)	REVENUE, REGISTRATION AND LAND REFORMS DEPARTMENT(REVENUE)	Settlement Office Hazaribagh ,HAZARIBAGH Assistant Settlement Officer	31/07/2020	17/01/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:20060400057

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2025

संख्या-2/नि०सं०-12-60/2020-33166 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी सुश्री स्मिता नगेसिया, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-65/25, गृह जिला- लातेहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरुपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	SMITA NAGESIA- (110135213379)	DC OFFICE KHUNTI	KARRA BLOCK, KHUNTI Block Development Officer	31/07/2020	21/07/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:20060400057

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2025

सं०सं०-02/नि0सं0-12-128/2015 का. 6256--श्रीमती प्रीतिलता मुर्मू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 382/20), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पाकुड़ को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 732/वि० दिनांक 14.03.2024 के आलोक में दिनांक 29.10.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक (कुल 31 दिन) शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2025

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन)-01/2025- 3109/रा०, --जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37, सन् 1948) के तहत् जनगणना नियम, 1990 के नियम-8 (iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2027 के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों यथाः जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद/वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-01.01.2026 से 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जाय। क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31.12.2025 तक हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,

सरकार के सचिव-सह-

राज्य समन्वयक (जनगणना)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2025 ई०।

संख्या-05/वि०को०-05/22/2025-5912--भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-4 (च) के संबंध में तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों / धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची एतद् द्वारा सामुदायिक सेवा अंतर्गत दंडात्मक स्वरूप हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः-

क्र० सं०	सामुदायिक सेवा	सेवा का स्थान/कार्यालय	प्राधिकृत अधिकारी	निगरानी प्राधिकरण	सामुदायिक सेवा की अवधि
1	वार्ड और आसपास की सफाई/रख-रखाव	सरकारी अस्पताल / सरकारी औषधालय	क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी (आर०एम०ओ०) /डीन या नामित अधिकारी	जिला प्रोबेशन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अथवा नामित कोई अन्य अधिकारी	एक दिन से इकतीस दिन तक अथवा चालीस घंटे से दो सौ चालीस घंटे तक।
2	आकस्मिक / ऑपरेशन प्रबंधन	सरकारी अस्पताल	- यथा-	- यथा-	- यथा-
3	ट्रॉली/मूवमेंट सहायता	सरकारी अस्पताल	- यथा-	- यथा-	- यथा-
4	अन्य कार्य जो आर०एम०ओ० / डीन द्वारा चिन्हित हों और जिनमें विशेष/चिकित्सीय ज्ञान की आवश्यकता हो	सरकारी अस्पताल	- यथा-	- यथा-	- यथा-
5	अध्ययन क्षेत्र, भंडार क्षेत्र और बाहरी उपकरणों की सफाई/रख-रखाव	जिला/तालुका कार्यालय / विधिक सहायता क्लिनिक, कोई भी सरकारी पुस्तकालय	सचिव, डी०एल०एस०ए०/पुस्तकालयाध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी	- यथा-	- यथा-
6	पुस्तकों की व्यवस्था / पुस्तकों का सूचीकरण अथवा लिपिकीय सहायता अथवा बाईडिंग	डी०एल०एस०ए० कार्यालय/तालुका कार्यालय, कोई सरकारी पुस्तकालय	सचिव, डी०एल०एस०ए०/पुस्तकालयाध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी	- यथा-	- यथा-
7	कक्षाओं, पुस्तकालय प्रयोगशालाओं, मैदानों और बाहरी उपकरणों की साफ-सफाई	सरकारी शैक्षणिक संस्थान	प्रधानाध्यापक/प्राचार्य या नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-

8	नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ सफाई / रख रखाव	निगम/नगरपालिका/ पंचायत	संबंधित आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
09	सड़कों से खरपतवार की सफाई	निगम/नगरपालिका/ पंचायत	संबंधित आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
10	किसी सार्वजनिक भवन की सफाई अथवा रख रखाव	सार्वजनिक कार्यालय	संबंधित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
11	यातायात नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, परिसर / स्टेशन की सफाइ, सामान्य क्षेत्रों का रख रखाव	थाना	थानाध्यक्ष / थाना प्रभारी अथवा नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
12	सफाई / रख रखाव	सार्वजनिक पार्क / स्थान तथा समुन्द्र तटीय, निगम / नगरपालिका /पंचायत	संबंधित आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
13	सफाई / रख रखाव	वृद्धा आश्रम, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, छात्रावास / सामाजिक कल्याण विभाग भवन	वार्डन / प्रभारी अधिकारी या नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
14	वृक्षारोपण, सिचाई, खरपतवार हटाना एवं रख रखाव कार्य	वन विभाग	वन क्षेत्रीय पदाधिकारी / प्रभारी अधिकारी या नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
15	सफाई / रख रखाव अथवा लिपिकीय सहायता	चिड़ियाघर / संग्रहालय	क्युरेटर/प्रभारी अधिकारी / नामित अधिकारी	- यथा-	- यथा-
16	कोई अन्य कार्य जिसे न्यायालय, दिए गये मामले में सामुदायिक सेवा को उचित समझे	संबंधित विभाग	संबंधित अधिकारी	- यथा-	- यथा-

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

भाग-9-ख

प्रकाशनार्थ सर्वसाधारण सूचना

*****सूचना*****

"झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र में नाम परिवर्तन से संबन्धित विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए कोई कानूनी उत्तरदायित्व स्वीकार नही किया जाता है। नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति ही इसके कानूनी परिणामों और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा"।

मै, VIKAS DUBEY, VAANYA DUBEY अन्य नाम VINI DUBEY का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री VAANIYA DUBEY के नाम से जानी जाएगी ।

VAANYA DUBEY एवं VINI DUBEY दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- FLAT No-303 MOHAN MARKETING COMPLEX, ARGORA,INFRONT OF IDBI BANK, DORANDA, P.O.-DORANDS, P.S. ARGORA, DIST.-RANCHI, JHARKHAND 834002).

मै, राज शेखर कुमार, अयांश राज अन्य नाम आयुष राज का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र अयांश राज के नाम से जाना जाएगा ।

अयांश राज एवं आयुष राज दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- DT-1029, DHURWA DAIM SIDE, SECTOR-9 P.O.-+P.S.-DHURWA, RANCHI, JHARKHAND 834004).

मै, ASHOK MISHRA, KUMAR PRABHUJI अन्य नाम PRABHUJI MISHRA का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र KUMAR PRABHUJI के नाम से जाना जाएगा ।

KUMAR PRABHUJI एवं PRABHUJI MISHRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- H No-25, KAILASH NAGAR, TATA FOUNDARY, CABLE BASTI, GOLMURI, JAMSHEDPUR, DIST.-EAST SINGHBHUM, JHARKHAND- 831003).

मै, बालेश्वर ऋशाल यादव, यादव प्रवीण बालेश्वर अन्य नाम प्रवीण यादव का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र यादव प्रवीण बालेश्वर के नाम से जाना जाएगा ।

यादव प्रवीन बालेश्वर एवं प्रवीण यादव दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL-BELA, P.O.- MURUKMANAI, P.S.- MARKACHO, DIST.- KODARMA, JHARKHAND- 825418).

मै, PANKAJ KUMAR, PRACHI KUMARI अन्य नाम KHANAK SHARMA का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री PRACHI KUMARI के नाम से जानी जाएगी ।

PRACHI KUMARI एवं KHANAK SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- Q.N.-A-367, SECTOR IV NEAR PRABHAT TARA SCHOOL, DHURWA, P.O.- DHURWA, P.S.- DHURWA, DIST.-RANCHI, JHARKHAND).

मै, पुष्पा देवी, बन्टी राज मेहता अन्य नाम शिवम कुमार मेहता का माता, घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र बन्टी राज मेहता के नाम से जाना जाएगा ।

बन्टी राज मेहता एवं शिवम कुमार मेहता दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- ALLOUNJAKALA, P.O.-ICHKA, P.S.- ICHKA, DIST.- HAJARIBAG, JHARKHAND-825402).

मै, महेंद्र लकड़ा, सारांश लकड़ा अन्य नाम अंश लकड़ा का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र सारांश लकड़ा के नाम से जाना जाएगा ।

सारांश लकड़ा एवं अंश लकड़ा दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

मै, महेंद्र लकड़ा, गणेश लकड़ा अन्य नाम एतवा लकड़ा का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र गणेश लकड़ा के नाम से जाना जाएगा ।

गणेश लकड़ा एवं एतवा लकड़ा दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- SINDWAR TOLI, MORABADI, P.S-BARIATU, DIST.- RANCHI, JHARKHAND).

मै, MANGALI DEVI, HEMA KUMARI अन्य नाम HHAMA KUMARI की माता, घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री HEMA KUMARI के नाम से जानी जाएगी ।

HEMA KUMARI एवं HHAMA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- SOSODIH, P.O.- LANDUPDIH, P.S.- SONAHATU, DIST.- RANCHI, JHARKHAND).

मै, NIVEDITA SINGH अन्य नाम NIVETHA VELLINGIRI, पति PRAVEEN KUMAR SINGH, घोषणा करती हूँ कि NIVEDITA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी ।

NIVEDITA SINGH एवं NIVETHA VELLINGIRI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- H.No.- 20, AT- ROL, P.O.-SIMARIA, DIST.-CHATRA, JHARKHAND-825103).

मै, BALMANI KUMARI अन्य नाम PRATIMA KUMARI, पति SUNIL MAHTO, घोषणा करती हूँ कि BALMANI KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

BALMANI KUMARI एवं PRATIMA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- MAHATO TOLI, LALGARH, P.O.-CHILDAG, P.S.- ANGARA, DIST.-RANCHI, JHARKHAND 835103).

मै, MENJO SUNDI अन्य नाम MENJA SHUNDHI, पति, LATE RAMAYAN SUNDI, घोषणा करती हूँ कि MENJO SUNDI के नाम से जानी जाऊँगी ।

MENJO SUNDI एवं MENJA SHUNDHI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- PARAMSAI KARKATTA, P.O.-BARKELLA, P.S.- MUFFASIL, CHAIBASA, DIST.-WEST SINGHBHUM, JHARKHAND- 833201.

मै, SATWINDER KAUR अन्य नाम SAROJ KAUR, पिता, LATE MAHANGA SINGH, घोषणा करती हूँ कि SATWINDER KAUR के नाम से जानी जाऊँगी ।

SATWINDER KAUR एवं SAROJ KAUR दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- No.-55A, GURUDWARA BASTI, BISTUPUR, JAMSHEDPUR, DIST.-EAST SINGHBHUM, JHARKHAND-831001).

मै, GAURA DEVI अन्य नाम GOURI DEVI, पति, AKHILA NAND CHOUDHARY, घोषणा करती हूँ कि GAURA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

GAURA DEVI एवं GOURI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILLAGE- BAGHAKOL, KOLHADDA, P.S.- BASANTRAI DIST.- GODDA, JHARKHAND).

मै, RENU KUMARI अन्य नाम SONI DEVI, पति ARUN SINHG, घोषणा करती हूँ कि RENU KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

RENU KUMARI एवं SONI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILLAGE- MADHUBANA, P.S.- HARIHARGANJ, DIST.-PALAMU, JHARKHAND- 822113).

मै, AKANKSHA KUMARI अन्य नाम PUJA DEVI, पति SRI RAJU YADAV, की माता MEENA DEVI, पिता NARESH PRASAD YADAV, घोषणा करती हूँ कि AKANKSHA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

AKANKSHA KUMARI एवं PUJA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILLAGE- ADARSH NAGAR, SARSHA PAHARI, P.O.+P.S.- CHIRKUNDA, DIST.-DHANBAD, JHARKHAND-828202).

मै, प्रतिमा कुमारी अन्य नाम प्रियंका कुमारी, पति राजेन्द्र चौधरी, घोषणा करती हूँ कि प्रतिमा कुमारी के नाम से जानी जाऊँगी ।

प्रतिमा कुमारी एवं प्रियंका कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILLAGE- तेलियाबांध, P.O.- सुआ , P.S.- मेदिनी नगर DIST.-पलामू , JHARKHAND- 822112).

मै, अमृत राउत अन्य नाम बिट्टु राउत, पिता अमित राउत, घोषणा करता हूँ कि अमृत राउत के नाम से जाना जाऊँगा ।

अमृत राउत एवं बिट्टु राउत दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILLAGE- BAGAN PARA , P.O.- PAKUR, P.S.- PAKUR DIST.- PAKUR, JHARKHAND).

मै, RUPENDRA NATH MUKHERJEE अन्य नाम RUPEN MUKHERJEE, पिता GOPAL CHANDRA MUKHERJEE, घोषणा करता हूँ कि, RUPENDRA NATH MUKHERJEE के नाम से जाना जाऊँगा ।

, RUPENDRA NATH MUKHERJEE एवं RUPEN MUKHERJEE दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- CHHATH TALAW, NEAR GOL BUILDING, DHANBAD, P.O.- DHANBAD, P.S.- DHANSAR, DIST.-DHANBAD, JHARKHAND).

मै, MD. SHAMIM अन्य नाम MD FURKAN KHAN, पिता LATE MD. ESHAK, घोषणा करता हूँ कि , MD. SHAMIM के नाम से जाना जाऊँगा ।

MD. SHAMIM एवं MD FURKAN KHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- KANTA TOLI, PURULIYA ROAD, NEAR UNION BANK, RAJA COLONY, RANCHI, G.P.O. DIST.- RANCHI, JHARKHAND).

मै, राकेश रंजन (RAKESH RANJAN), धृति श्री (DHRITI SHREE), अन्य नाम निवि रंजन (NIVI RANJAN) का पिता, घोषणा करता हूँ की मेरा पुत्रीधृति श्री (DHRITI SHREE) के नाम से जानी जाएगी ।

धृति श्री (DHRITI SHREE) एवं निवि रंजन (NIVI RANJAN) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- FLAT No.-102 AKANSHA APARTMENT, PHASE-II, NEAR KHADGARAHA BUS STAND, P.S-LOWERBAZAR, RANCHI, JHARKHAND.

मैं, महाबीर राम, अकांक्षा कश्यप अन्य नाम लक्की राज, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री अकांक्षा कश्यप के नाम से जानी जायेगी ।

अकांक्षा कश्यप एवं लक्की राज दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- AT. KATKAM DAG, P.O.-SULTANa, P.S.-KATKAM DAG, DIST-HAZARIBAG, JHARKHAND)

मैं, AINULLAH ANSARI, NEHA PARVEEN अन्य नाम ALYANA PARVEEN, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री NEHA PARVEEN के नाम से जानी जायेगी ।

NEHA PARVEEN एवं ALYANA PARVEEN, दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE-BANA, P.O.-BANA, P.S.-MERAL, DIST- GARHWA, JHARKHAND-822128)

मैं, HEMANT KUMAR, ANKITA SINGH अन्य नाम KHUSHI, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ANKITA SINGH के नाम से जानी जायेगी ।

ANKITA SINGH एवं KHUSHI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- BHUIYA TOLI, SAMLONG, NAMKUM, DIST-RANCHI, JHARKHAND-834010)

मैं, MUMTAZ QURAISHI, MD. MERAJ AHMAD अन्य नाम SHAHEEN MERAJ AHMAD, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र MD. MERAJ AHMAD के नाम से जाना जायेगा ।

MD. MERAJ AHMAD एवं SHAHEEN MERAJ AHMAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- MILLAT COLONY, WASSEYPUR, DHANBAD, P.O.-DHANBAD, DIST.- DHANBAD, JHARKHAND)

मैं, फुला देवी, अक्षय कुमार अन्य नाम शीतल कुमार, की माता घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र अक्षय कुमार के नाम से जाना जायेगा ।

अक्षय कुमार एवं शीतल कुमार दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- SALATUA, P.O.-SALATUA, P.S.-CHAINPUR DIST.- PALAMU, JHARKHAND-822110)

मैं, बिजय भारती, प्रिन्स भारती अन्य नाम अदित भारती, की माता घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र प्रिन्स भारती के नाम से जाना जायेगा ।

प्रिन्स भारती एवं अदित भारती दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- BALUTUNDA, BALUTUNDA, P.S.- NIMIYANGHAT, DIST-GIRIDIH, JHARKHAND)

मैं, मनोज सिंह, अंश सिंह राजपूत अन्य नाम अंसराज राजपूत, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र अंश सिंह राजपूत के नाम से जाना जायेगा ।

अंश सिंह राजपूत एवं अंसराज राजपूत दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- GHANGHRI, P.O.-HIRODIH, P.S.-JAINAGAR DIST.-KODERMA, JHARKHAND-825409)

मैं, AJAY KUMAR GUPTA, EKLAVYA GUPTA अन्य नाम ARUSH SAH, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र EKLAVYA GUPTA के नाम से जाना जायेगा ।

EKLAVYA GUPTA एवं ARUSH SAH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE+P.O.-NONIHAT, P.S.-HANSDIHAM SUBDIVISION DIST.-DUMKA, JHARKHAND)

मैं, BINAY KUMAR PRADHAN, LIPSON PRADHAN अन्य नाम LIKUN PRADHAN, का पिता घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र LIPSON PRADHAN के नाम से जाना जायेगा ।

LIPSON PRADHAN एवं LIKUN PRADHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE-KADAKALA, P.O.-JAINTGARH, P.S.-JAGANNATHPUR DIST.-WEST SINGHBHUM, JHARKHAND)

मैं, SHOBA TIGGA अन्य नाम SHOVA KUJUR, पति LATE JOLJESH TIGGA, घोषणा करती हूँ कि मैं SHOBA TIGGA के नाम से जानी जाऊँगी ।

SHOBA TIGGA एवं SHOVA KUJUR दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- HOUSE No-2457, S.P.COLONY, DIBADIH, RANCHI, JHARKHAND-834002)

मैं, MARTHA (मारथा) अन्य नाम HIRAMANI KANDULNA (हिरामनी कन्डुलना), पति LATE SARAN AIND (शरन आईन्द), घोषणा करती हूँ कि मैं MARTHA (मरथा) के नाम से जानी जाऊँगी ।

MARTHA (मारथा) एवं HIRAMNI KANDULNA (हिरामनी कन्डुलना) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- SIMTIMDA, P.O.-JARIAGARH, P.S.-KARRA, P.S.- KARRA DIST-KHUNTI, JHARKHAND-835234)

मैं, LACHMINIA DEVI (लचमीनिया देवी) अन्य नाम LAKSHMINIYA DEVI (लक्ष्मीनिया देवी), पति KAIL MICHI (कईल मोची), घोषणा करती हूँ कि मैं LACHMINIA DEVI (लचमीनिया देवी) के नाम से जानी जाऊँगी ।

LACHMINIA DEVI (लचमीनिया देवी) एवं LAKSHMINIYA DEVI (लक्ष्मीनिया देवी) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- BELBIGHA, P.O.-DANGWAR, P.S.-HUSSAINABAD, DIST-PALAMU, JHARKHAND-822116)

मैं, SERAFINUS KUJUR अन्य नाम SORAFINUS BARA पिता LATE JOSEF KUJUR घोषणा करता हूँ कि मैं SERAFINUS KUJUR के नाम से जाना जाऊँगा ।

SERAFINUS KUJUR एवं SORAFINUS BARA दोनों एक ही पुरष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- KURUND, P.O.+P.S.- MAHUADANR, DIST- LATEHAR, JHARKHAND-822119)

मै, MOTISHWARI DEVI अन्य नाम MOTISARI DEVI, पति LATE LALAN PRASAD YADAV, घोषणा करती हूँ कि मैं MOTISHWARI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

MOTISHWARI DEVI एवं MOTISARI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- VEER KUNWAR SINGH COLONY, P.O.-HINOO, P.S.-DORANDA, DIST.-RANCHI, JHARKHAND-834002).

मै, SUSHILA PRATIMA TOPPO अन्य नाम SHUSHILA PRATIMA TOPPO, पति NOEL TOPPO, घोषणा करती हूँ कि मैं SUSHILA PRATIMA TOPPO के नाम से जानी जाऊँगी ।

SUSHILA PRATIMA TOPPO एवं SHUSHILA PRATIMA TOPPO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- PREM NAGAR, ROAD.No.-6, HESAG, P.O.-HATIA, P.S.-JAGARNATHPUR, DIST.-RANCHI, JHARKHAND-834003).

मै, झुमरी देवी अन्य नाम झुमरी ओरों, पति विक्रम लोहरा, घोषणा करती हूँ कि मैं झुमरी देवी के नाम से जानी जाऊँगी ।

झुमरी देवी एवं झुमरी ओरों दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- PIPAR TOLI ARGORA, P.S.- ARGORA, DIST.-RANCHI, JHARKHAND).

मै, REETA KUMARI अन्य नाम RAMBHA DEVI, पति BHARAT SINGH, पिता RANA PARTAP SINGH, घोषणा करती हूँ कि मैं REETA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

REETA KUMARI एवं RAMBHA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE- NEAR, CHAT GHAT VIDYA NAGAR, HARMU, DORANDA, RANCHI, JHARKHAND-834002).

मै, NEETU JHUNJHUNWALA अन्य नाम KUMARI NEETU AGARWAL, NEETU, पति DR. AMIT KUMAR, पिता SURESH CHAND, घोषणा करती हूँ कि मैं NEETU JHUNJHUNWALA के नाम से जानी जाऊँगी ।

NEETU JHUNJHUNWALA एवं KUMARI NEETU AGARWAL, NEETU तीनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE-DR. RAJENDRA PRASAD ROAD. NEAR BAJLA COLLEGE BUILDING No-16A, CASTAIR TOWN, P.O+P.S..-DEOGHAR, DIST.-DEOGHAR, JHARKHAND-814112).

मै, सादिया खातून अन्य नाम सन्ना खातून, पिता जमाल कुरैशी, घोषणा करती हूँ कि मैं सादिया खातून के नाम से जानी जाऊँगी ।

सादिया खातून एवं सन्ना खातून दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE-GARAH TOLI, SHANTI NAGAR, KOKAR P.S.-SADAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834001).

मै, LILAWATI DEVI अन्य नाम LILAMATI DEVI, पति ARJUN GOP, घोषणा करती हूँ कि मैं LILAWATI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

LILAWATI DEVI एवं LILAMATI DEVI, दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE-R/O AT- NEAR RAILWAY SIDING NEW BAIREK, BHURKUNDA, P.O.-BHURKUNDA, P.S.-PATRATU, DIST.- RAMGARH, JHARKHAND).

मै, बाबूलाल यादव, नवीन कुमार अन्य नाम आर्यन कुमार, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र नवीन कुमार के नाम से जाना जाएगा ।

नवीन कुमार एवं आर्यन कुमार दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILLAGE-PAPHARA, P.O.-JAMU, P.S.-MARKACHHO, DIST.-KODARMA, JHARKHAND-825318).

मै, RANI DEVI अन्य नाम MUNIA DEVI, पति SUKHLAL MANJHI, घोषणा करती हूँ कि मै RANI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

RANI DEVI एवं MUNIA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILLAGE-BAGHRAIYA GARSULLA, P.O.-GOSAIBALIA, P.S.-BARKAGAON, DIST.- HAZARIBAGH, JHARKHAND).

मै, SANTOSHI CHAKRABORTY, SAYAM CHAKRABORTY अन्य नाम SAYON CHAKRABORTY, की माता, घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र SAYAM CHAKRABORTY के नाम से जाना जाएगा ।

SAYAM CHAKRABORTY एवं SAYON CHAKRABORTY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- QTR No.-160-B, JAWAHAR NAGAR, P.O.+P.S.-BERMO, DIST.-BOKARO, JHARKHAND).

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 37-- 50 ।